<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-8185/2007

दिलबाग सिंह उर्फ लाड़ी बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:**13.12.2007**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री एस एन गुप्ता, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा धारा 439 जाप्ता फौजदारी में यह जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-35/2007 पुलिस थाना-आबकारी थाना ग्रामीण, अजमेर अपराध अन्तर्गत धारा- 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-दिलबाग सिंह उर्फ लाड़ी पुत्र बलदेव सिंह द्वारा रूपये 20**,000/- (बीस हजार रूपये मात्र)** का स्वयं का बंध पत्र व रूपये 10**,000/- - 10,000/- (दस-दस हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे तो उसे प्रथम सूचना संख्या--35/2007 पुलिस थाना- आबकारी थाना ग्रामीण, अजमेर से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(न्या0 जितेन्द्रराय गोयल)